व्यवसायिक सिलेंडर बंद करने पर कांग्रेस भड़की

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 मार्च। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने केंद्र सरकार की जनविरोधी नीतियों पर तीखा

अब घर-घर चूल्हा बनाने, सिगड़ी जलाने की नौबत आई : सुरेन्द्र यादव

हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की जनता गैस सिलेंडर की किल्लत से परेशान है। व्यवसायिक गैस सिलेंडर बंद कर दिए गए हैं और घरेलू सिलेंडर मंगाने की अवधि 30 दिन कर दी गई है। ऐसे में अगर किसी परिवार का सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो वह अपने परिवार के लिए रोटी कैसे बनाएगा?

श्री यादव ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी इजरायल दौरे पर थे, तब उन्हें अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और संभावित युद्ध की जानकारी थी। इसके बावजूद देश में गैस सिलेंडर का पर्याप्त भंडारण क्यों नहीं किया गया? आज आम जनता गैस एजेंसियों के चक्कर लगाने को मजबूर है। गैस कंपनियों के ऑनलाइन नंबर बंद हैं या फोन नहीं उठाया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है।

शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव ने कहा कि भाजपा ने पहले देश की जनता से थाली बजवाई गई और टॉर्च-मोमबत्ती जलवाई गई, और अब हालात ऐसे बन गए हैं कि गैस की कमी के कारण लोगों को अपने घरों में चूल्हा बनाकर कोयले की सिगड़ी जलाने की नौबत आ रही है। यह सरकार की नाकामी और जनविरोधी नीतियों का परिणाम है।

उन्होंने कहा कि व्यवसायिक सिलेंडर बंद होने से होटल, ढाबा, और शादी-विवाह जैसे कार्यक्रमों में भी भारी बाधा उत्पन्न होगी। ठेले-खोमचे लगाकर खाने-पीने की चीजें बेचने वाले छोटे व्यापारियों का कारोबार ठप्प हो जाएगा, उनके परिवार पर भरण पोषण का संकट पैदा हो जाएगा। आने वाले समय में महंगाई और बढ़ेगी तथा आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ेंगी।

श्री यादव ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि यही स्थिति रही तो आने वाले समय में पेट्रोल-डीजल की उपलब्धता भी प्रभावित हो सकती है और आम नागरिक को साइकिल चलाने तक मजबूर होना पड़ सकता है। अब समय आ गया है कि लोग जागें और ऐसी जनविरोधी नीतियों का लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दें। अगर भाजपा की नीतियों पर भरोसा करते रहे तो आम आदमी की रसोई और जेब दोनों खाली हो जाएँगी। जनता को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी।

सुरक्षा की दृष्टि से पेड़ को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 11 मार्च. नगर निगम ग्वालियर के पार्क विभाग द्वारा डॉ. प्रकाश अग्रवाल ग्वालियर को वृक्ष काटने की अनुमति आवश्यक शर्तों के साथ प्रदान की है।

उद्यान अधीक्षक शैलेन्द्र चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि डॉ. प्रकाश अग्रवाल निवासी डी 55 हरिशंकरपुरम ग्वालियर द्वारा स्वयं के भूखण्ड डी-75 हरिशंकरपुरम में स्थित भवन निर्माण में बाधक 2 नग वृक्षों को काटने की अनुमति चाही गई थी। पार्क पर्यवेक्षक द्वारा उक्त स्थल का निरीक्षण कर 02 वृक्षों को काटने की अनुमति शर्तों के साथ दी।

शर्तों के अनुसार पेडों को काटते एवं छांटते समय यदि किसी प्रकार की जनहानि एवं दुर्घटना घटित होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित आवेदक की होगी, नगर निगम ग्वालियर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वृक्ष को काटते अथवा छांटते समय यदि किसी भी प्रकार का जनाक्रोश या आपत्ति होती है तो अनुमति आदेश स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। अनुमति की वैधता 45 दिवस तक मान्य होगी। 45 दिवस उपरांत अनुमति स्वत: निरस्त मानी जाएगी। उक्त काटे गए वृक्षों के क्षतिपूरक राशि जमा कराने के उपरांत ही उक्त अनुमति प्रभावशील होगी। काटी गई लकडियां, धर्मकांटा तौल रसीद के साथ उद्यान विभाग नगर निगम में जमा कराना अनिवार्य होगा।

वृक्ष अधिकारी द्वारा आवेदन एवं फोटो के अनुसार भवन में बाधक पेड एवं शाखाओं को काटते एवं छांटने से संबंधित अनुमति दी गई है। यदि इसके अतिरिक्त किसी अन्य पेड़ की शाखा को काटते एवं छांटने का कार्य किया गया तो आवेदक के विरुद्ध मध्यप्रदेश वृक्ष परिरक्षण अधिनियम 2001 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिले के बॉर्डर पर सुबह से मोर्चा संभाले रहीं कलेक्टर

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 मार्च। ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा लगाने के संकल्प एवं यूजीसी के समर्थन में दतिया के गोराघाट से भीम आर्मी के दामोदर यादव के नेतृत्व में शुरू हुई संकल्प पदयात्रा के आज दोपहर डबरा पहुंचने का कार्यक्रम था। इसके मद्देनजर डबरा में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान एवं पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह आज बुधवार सुबह से ही डबरा एवं गोराघाट की सीमा पर भारी पुलिस फोर्स के साथ मोर्चा संभाले रहे।

पहली बार ग्वालियर में होगा व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 मार्च। अटल बिहारी वाजपेयी दिव्यांग खेल प्रशिक्षण संस्थान में आज से उमोया स्पोर्टस द्वारा राष्ट्रीय व्हीलचेयर अल्टीमेट टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। देश में

टूर्नामेंट में भाग लेने 10 पुरूष एवं 4 महिला टीमें ग्वालियर आईं

उपरोक्त खेल का यह पहला राष्ट्रीय आयोजन हैं,जिसको लेकर विकलांग खिलाड़ियों में भारी उत्साह है। इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए देश के अलग-अलग राज्यों से 10 पुरूष एवं चार महिला टीमें ग्वालियर आ चुकी हैं। टूर्नामेंट के मैच गुरूवार सुबह 8 बजे से आरंभ हो जाएंगे। ओपनिंग सेरेमनी सुबह 11 बजे होगी,जिसमें जनप्रतिनिधि एवं खेलों से जुड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी।

उमोया फाउंडेशन के फाउंडर एवं टूर्नामेंट के कोर्डिनेटर आदित्य केवी ने बताया कि पुरूष वर्ग में दिल्ली, हरियाणा, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात के साथ भारत की टीम भाग लेगी। इसी तरह महिला वर्ग में दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड की टीमें इस टूर्नामेंट में शिरकत करेंगी। पूरे टूर्नामेंट कुल 40 मैच होंगे। राउंड रॉबिन के बाद दो सेमीफाइनल एवं 14 मार्च को फाइनल खेला जाएगा।

क्या होता है व्हीलचेयर अल्टीमेट गेम

व्हीलचेयर अल्टीमेट मुख्य रूप से शारीरिक रूप से अक्षम (दिव्यांग) व्यक्तियों के लिए डिजाइन किया गया एक तेज गति वाला, समावेशी और टीम गेम है, जिसे एक उड़न तश्तरी के साथ खेला जाता है। यह व्हीलचेयर बास्केटबॉल एवं व्हीलचेयर रग्बी से मिलता जुलता है। उनमें बॉल और इसमें डिश(उड़नतस्तरी) का उपयोग किया जाता है। जिसमें खिलाड़ी डिस्क को पास करके विरोधी टीम की गोल रेखा के पार कर अंक हासिल करते हैं, इसी के आधार पर हार जीत होती है।।एक टीम में चार खिलाड़ी खेलते हैं। किसी खिलाड़ी के चोटिल होने पर दो खिलाड़ी रिर्जव में तैयार रहते हैं।

10 गोल या 40 मिनट की समय सीमा

यह गेम आमतौर पर दो हाफ में होता है और 10 गोल या 40 मिनट की समय सीमा (जो भी पहले हो) के साथ खेला जाता है। यह दिव्यांग एथलीटों द्वारा बनाया गया एक खेल है, जिसे अब विश्वस्तर पर मान्यता मिल है। व्हीलचेयर अल्टीमेट में अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के लिए भारत का चयन हुआ था,लेकिन समय पर बीजा नहीं मिलने के कारण टीम खेलने नहीं जा पाई थी।

ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ आज

ग्वालियर 11 मार्च. नगर निगम ग्वालियर द्वारा तरुण पुष्कर के पास सिटी सेंटर में स्थापित किए गए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कल 12 मार्च को प्रात: 11 बजे किया जाएगा। सिटी सेंटर में स्थापित किए गए ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ कल 12 मार्च को प्रात: 11 बजे महापौर डॉ. शोभा सतीश सिंह सिकरवार, सभापति मनोज तोमर, नेता प्रतिपक्ष हरिपाल, नगर निगम आयुक्त संघ प्रिय एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा किया जाएगा।

कार्यालय नायब तहसीलदार तहसील पोहरी

इश्तहार

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर परिषद पोहरी के स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 अतंर्गत लिविवड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना में अधोसंरचना निर्माण हेतु ग्राम पोहरी के शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 421 कुल रकबा 0.606 हे. मैं से भूमि आवंटन नजूल निर्वतन नियम के अनुसार भूमि आवंटन की जा रही है इस संबंध में किसी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर न्यायालय नायब तहसीलदार पोहरी को प्रस्तुत करें. निर्धारण दिनांक/समय के पश्चात प्राप्त आवेदन/ आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा

स्थान-पोहरी

दिनांक-11/03/2026

नायब तहसीलदार
तहसील पोहरी जिला शिवपुरी

दीनारपुर जमीन मामले में हाईकोर्ट ने रिपोर्ट खारिज की

नवभारत न्यूज

ग्वालियर, 11 मार्च। दीनारपुर स्थित 18,880 वर्गमीटर जमीन से जुड़े मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल द्वारा पेश की गई स्टेटस रिपोर्ट खारिज कर दी।

कोर्ट ने उन्हें दोबारा नई स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही प्रमुख सचिव के खिलाफ अवमानना का नोटिस भी जारी किया गया है जिस पर अलग से सुनवाई होगी। कोर्ट ने आदेश में कहा कि यह भी स्पष्ट नहीं है कि ग्वालियर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को प्रमुख सचिव ने कभी स्वीकार किया था या नहीं। अदालत ने टिप्पणी की कि राज्य सरकार अब भी अस्पष्ट जवाब दाखिल कर रही है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सचिव पर पहले ही 25 हजार रुपए की कॉस्ट लगाई जा चुकी है, लेकिन इसके बाद भी उनके रवैये में सुधार नहीं आया है। अदालत ने इस पर नाराजगी जताई।

मामले में याचिका दाखिल करने में 1788 दिन की देरी हुई है। कोर्ट ने पूछा कि इस देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारी कौन है और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है।

उत्तर मध्य रेलवे

No. JHS/W/DO/misc/LC-438(T) दिनांक : 11.03.2026

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि **ग्वालियर-धौलपुर** रेल मार्ग पर बानमोर यार्ड में स्थित रेलवे फाटक क्र. 438 (T) रेलवे किमी km 1244/16-18, 15-17 को अनुरक्षण कार्य हेतु दिनांक **12.03.2026** से **18.03.2026** तक अस्थायी तौर पर बंद किया जा रहा है। इस दौरान वैकल्पिक मार्ग के रूप में आने जाने हेतु रेलवे फाटक नं. 438 फूलपुर गांव से लगभग 1.0 km दूर डायवर्ट कर रेलवे फाटक नं. 437 (रेलवे किमी 1243/264) चक गांव का उपयोग किया जा सकता है। **(अंकुर गुप्ता)**

558/26 (MG) **वरिष्ठ मंडल अभियंता/उत्तर, उत्तर मध्य रेल, झाँसी**

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

पेज एक का शेष

भीम आर्मी की संकल्प...

को रोकने के लिए पुलिस को वाटर कैनन, आंसू गैस और हल्के लाठीचार्ज का उपयोग करना पड़ा। पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लेकर अस्थायी जेल भेज दिया है।

***समझाइश के बाद भी नहीं माने तो दागे आंसू गैस के गोले-** पुलिस ने शुरुआत में भीड़ को रोककर समझाने का प्रयास किया लेकिन कार्यकर्ता पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। स्थिति आक्रामक होने पर पुलिस को पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के 15 से 20 गोले छोड़े गए और लाठीचार्ज भी किया गया। पुलिस ने मौके से करीब 100 लोगों को गिरफ्तार कर बसों के जरिए बड़ौनी स्थित अस्थायी जेल भेज दिया है। प्रशासन ने इलाके में भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। जिले के एसपी और तीन एसडीओपी सहित करीब 15 थानों की पुलिस अलग-अलग स्थानों पर तैनात है और स्थिति की निगरानी कर रही है। प्रशासन ने इस यात्रा को डबरा तक नहीं पहुंचने दिया। टकराव टालने के लिए दतिया के असनई स्थित रामलाल मंदिर में सवर्ण आर्मी के पदाधिकारियों को नजरबंद कर दिया गया है।

ग्वालियर हाईकोर्ट में अंबेडकर प्रतिमा स्थापित करने की मांग... नागपुर से शुरू हुई इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य 14 मार्च को ग्वालियर हाईकोर्ट पहुंचकर डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की मांग उठाना है। हालांकि, दतिया में अनुमति रद्द होने के बाद हुए इस टकराव से इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।

अविश्वास प्रस्ताव खारिज

मैं विपक्ष नेता से पूछना चाहता हूं कि आप तब क्यों नहीं बोले. किसने रोका था. वो तो आपका अधिकार है कि आपकी पार्टी से कौन बोलेगा.

➡वक्फ संशोधन-धारा 370 जैसी चर्चाओं से राहुल गायब रहे. एसआईआर पर चर्चा थी. विपक्ष के नेता को बोला गया कि आप बोलिए. नहीं बोले. उन्होंने सदन डिस्टर्ब किया.

➡16वीं लोकसभा में राहुल गांधी ने 2014, 2015, 2017 और 2018 में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में भाग नहीं लिया. उन्होंने 16वीं लोकसभा में केंद्रीय बजट पर किसी भी चर्चा में भी हिस्सा नहीं लिया.

➡उन्होंने किसी भी सरकारी विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 16वें, 17वें, 19वें, 20वें और 21वें सत्रों में उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में भाग नहीं लिया. 19वें, 20वें, 22वें और 23वें सत्रों में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया और एक विधेयक को छोड़कर किसी अन्य विधायी चर्चा में भी भाग नहीं लिया. 18वीं लोकसभा में उन्होंने केंद्रीय बजट पर चर्चा में भाग नहीं लिया.

दो राज्यों को 16,450 करोड़ की सौगात

पीएम मोदी ने एलपीजी संकट की अफवाहों पर विराम लगाते हुए कहा कि देश में एलपीजी की कोई कमी नहीं होने देंगे. भारत संकट अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता: प्रधानमंत्री ने कहा, खाड़ी क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए आपकी चिंताएं स्वाभाविक हैं.

कार्यालय नगर पालिक निगम, खण्डवा

(स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विभाग)

क्रमांक 1839/ स्वा. वि. / ई-टेण्डरिंग / 2026 खण्डवा, दिनांक 09/03/2026

-: निविदा विज्ञप्ति :-

नगर पालिक निगम खण्डवा मे निम्नलिखित कार्य हेतु निविदा ऑन लाईन आमंत्रित की जाती है । उल्लेखित कार्य की निविदा का विवरण वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्रं.	ऑनलाईन पोर्टल	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख)	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र की राशि	समयावधि
1	2	3	4	5	6	7
1	2026_UADD _488630_1	Offers invitiang Sterilization & |Immunization of Stray Dogs in KMC Under Animal Birth Control Programme	21.00	21000/-	5,000/-	निविदा जारी होने के दिनांक से आगामी एक वर्ष तक

1. निविदा ऑनलाइन कय एवं प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक :- 06/04/2026 (शाम 5.30 बजे तक)
2. निविदा खोलने की दिनांक :- 08/04/2026 (प्रातः 10.30 बजे)

निविदा संबंधी समस्त जानकारी वेबसाईट http://www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है। निविदा में यदि किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह समाचार पत्र में प्रकाशित नहीं किया जावेगा

उपायुक्त
नगर पालिक निगम, खण्डवा

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 17 वार्ड क्रमांक 38 भवन क्रमांक... स्थान अयोध्या नगरी में स्थित है जो कि कृष्णा रावत/ हाकिम सिंह रावत के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक .....पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 750वर्गफुट है. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर 17402025ए100346011 दिनांक 21/5/2025 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र ढोलीबुआ का पुल दिनांक 11/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 71/2010/58678/58870 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 11-3-2026
मुकेश राठौर/स्व. देवी सिंह
पता : अयोध्या नगर ग्वालियर (म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 21 वार्ड क्रमांक 52 भवन क्रमांक... स्थान बिलगईयों का पुरा, गुढ़ा में स्थित है जो कि लाल सिंह कुशवाह/ नारायण सिंह कुशवाह के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 2000177098 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1211.5 वर्गफुट है. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एमपी21/जीआर 17402026ए100184244 दिनांक 16/2/2026 से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र आम खो दिनांक 11/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन पत्र 26010100000204 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 11-3-2026
श्रीमती राकेश कुमारी/शिव बक्श पाल
पता : बिलगईयों का पुरा, गुढ़ा ग्वालियर (म.प्र.)

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना
भवन स्वामी द्वारा जारी

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 03 वार्ड क्रमांक 15 भवन क्रमांक... स्थान राधा कॉलोनीा में स्थित है जो कि श्रीमती रामकुंवर/स्व. पन्नाला, हेमन्त पुत्र/ स्व. पन्नालाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000191052 पर दर्ज है/नहीं है जिसका क्षेत्रफल 1000 वर्गफुट है. रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ..... दिनांक...... से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्पत्ति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अन्तर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र लूटपुरा दिनांक 11/03/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 75/2011/55042/54969 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 205, 202 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 11-3-2026
अजय कुमार पारा/राम गोपाल पारा
पता : राधा कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.)

आम सूचना

श्री मैनपुरी गोस्वामी पुत्र श्री रोशन पुरी के स्वत्व व स्वामित्व की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.279 का भाग स्थित बांके विहार कॉलोनी, ग्राम अकबरपुर मुजष्ता, तहसील व जिला ग्वालियर में है जो नगर निगम ग्वालियर वार्ड क्र. 05 में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.137/मिन, 227. 229, 243, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 256, 257, 261 एवं 395 ग्राम अकबर मुजष्ता का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूखण्ड क्र. 173, पश्चिम में-रास्ता 25 फुट चौड़ा, उत्तर में-सम्पति दीगर एवं दक्षिण में-भूखण्ड क्र.279 का भाग है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्रीमती कमलाबाई पुत्री श्री पन्नालाल के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्रीमती कमलाबाई का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री किशन यादव पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल यादव उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री किशन यादव द्वारा श्री राकेश सिंह तोमर पुत्र श्री जी.एस. तोमर, श्री रामवीर सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामनाथ सिंह गुर्जर की सहमति से उक्त सम्पत्ति श्री मैनपुरी गोस्वामी पुत्र श्री रोशन पुरी को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र. एमपी 142602019ए1147792 दिनांक 01.03.2019 से विक्रय की गई। श्री मैनपुरी गोस्वामी द्वारा उक्त सम्पत्ति को विक्रय किये जाने हेतु श्रीमती लालो पत्नी श्री विजय के पक्ष में एक लिखतम विक्रय अनुबन्ध पत्र सम्पादित किया जा चुका है एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख सम्पादित किया जाना शेष है। श्रीमती लालो द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने हेतु मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्रीमती कमलाबाई के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

आम सूचना

श्री फिरोज खान पुत्र श्री सन्नू एवं श्रीमती अंजूम बानो पत्नी श्री फिरोज खान के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भवन, स्थित मैन रोड, तहसील भितरवार एवं जिला ग्वालियर (म.प्र.) है जो नगर पंचायत भितरवार वार्ड क्र.02 में स्थित है जिसका भवन क्र.31 होकर सम्पत्ति क्र.1060000279 (पुराना) एवं 7001695187 (नया) है एवं जिसका क्षेत्रफल 1200 वर्गफुट है और चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :- पूर्व में-भूमि फिरोज खान, पश्चिम में-डबरा, भितरवार रोड, उत्तर में-सम्पत्ति अशोक अग्रवाल एवं दक्षिण में-गली है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में नगर पंचायत भितरवार के रिकॉर्ड वर्ष 2006-07 के अनुसार, श्री सन्नू खान पुत्र श्री कासिम खान के स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री सन्नू खान का स्वर्गवास दिनांक 25.09.2020 को हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्री फिरोज खान पुत्र स्व. श्री सन्नू, श्रीमती गुलसेन पत्नी स्व. श्री सन्नू एवं अन्य उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं श्री फिरोज खान द्वारा नगर परिषद भितरवार में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री फिरोज खान द्वारा अपने भाग की सम्पत्ति के संबंध में श्रीमती अंजूम बानो पत्नी श्री फिरोज खान के हित में ई-रजिस्टर्ड सहस्वामित्व विलेख क्र.एमपी21आईजीआर 17382025ए100207565 दिनांक 17.04.2025 को सम्पादित किया गया। उक्त सम्पत्ति से संबंधित वर्ष 2025 से पूर्व कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। श्री फिरोज खान एवं श्रीमती अंजूम बानो द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान कैपरी ग्लोबल हाउसिंग फायनेंस लि. ग्वालियर के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं श्री सन्नू खान के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित-निहित होने पर अथवा वर्ष 2025 से पूर्व का कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो ।

प्रेषक
नीरज जैन, एडवोकेट
कार्या. -भवन क्र. 52, कैलाश विहार, फैडरल बैंक के पास सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.), मो.नं. 98276-72710

शोभायात्रा आज

ग्वालियर 11 मार्च. ग्वालियर शिवपुरी हाइवे पर स्थित श्री आदिश्वर धाम भौंरा पनिहार में जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान श्री आदिनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव पर 12 मार्च गुरुवार (चैत्र कृष्ण नवमी तिथि वीर निर्वाण संवत् 2552) को श्रीजी की पालकी शोभायात्रा श्री आदिश्वर धाम भौंरा पनिहार से शुरू होकर मुख्य मार्गो से होती हुई श्री दिगम्बर जैन मन्दिर ग्राम पनिहार से गाजेबाजे के साथ पहुंचेगी। मंदिर में प्राचीन प्रतिमाएं विराजमान हैं। जिनमें दो प्रतिमाएं तो संवत् 1098 की प्रतिष्ठित हैं) गाजे बाजे, नृत्य करते हुए जाएगी। श्री आदिश्वर धाम भौंरा पनिहार भगवान आदिनाथ के जन्म कल्याणक पर पालकी शोभायात्रा निकाली जाएगी। शोभायात्र सुबह 9 बजे से श्री आदिश्वर धाम भौंरा पनिहार से शुरू होकर मुख्य मार्गो से होती हुई श्री दिगम्बर जैन मन्दिर ग्राम पनिहार से गाजेबाजे के साथ पहुंचेगी। शोभायात्रा में बैंड, डांडिया ओर भजनों के साथ लोग सम्मिलित होगे।

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 12, वार्ड क्रं 56,स्थान नाकाचन्द्रवदनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि रामदयाल/प्यारेलाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000178442 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 1100 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र /मृत्युउपरान्त/ उत्तराधिकार प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द रोशनी घर, क्षे.क्र 12, पर दिनांक 02.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 69/2010/67158/67286 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
परमानंद,सीताराम/रामदयाल, विनोद साहू,राजेश साहू/स्व. दाताराम
पता- नाकाचन्द्रवदनी ग्वा0(म.प्र.), मो0-9926230777
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 11.03.2026
नवभारत समाचार पत्र

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 12, वार्ड क्रं 56, भवन क्रं 928 का भाग, स्थान नहरवाली माता रोड,नाकाचन्द्रवदनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि सत्यम पाल/जीतेन्द्र पाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000008183 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 308 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-02022600179249 दिनांक 02.02.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द रोशनी घर, क्षे.क्र 12, पर दिनांक 27.02.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 69/2010/67154/67282 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
बबली सिंह/अमर सिंह
पता- नाकाचन्द्रवदनी ग्वा0(म.प्र.), मो0-7978064284
विज्ञप्ति जारी दिनांक- 11.03.2026
नवभारत समाचार पत्र

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 21, वार्ड क्रं 52,स्थान गुढा ग्वा0 मे स्थित है जो कि बुन्दुअली शाह/स्व. श्री एवज अली शाह के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 988 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602017ए3463632 दिनांक 10.08.2017 वसीयत द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द आमखो, क्षे.क्र 21, पर दिनांक 11.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 26-010100000145 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
समीर अली,साहिल अली/ जमील अली शाह,
पता- गुढा,लश्कर ग्वा0(म.प्र.), मो0-7970160412
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 18, वार्ड क्रं 49,स्थान हारकोटासीर ग्वा0 मे स्थित है जो कि कन्हैयालाल चांदवानी/गुरलदास चांदवानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000195297 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 330 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12521581 दिनांक 31.10.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गोरखी पानी की टंकी, क्षे.क्र 18, पर दिनांक 02.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18650/40949 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
बंशीलाल बजाज/लुनिदामल बजाज, पूजा बजाज/बंशीलाल बजाज
पता-डी-ब्लॉक,हारकोटासीर ग्वा0(म.प्र.), मो0-8962210098
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 17, वार्ड क्रं 38,स्थान कान्ता एन्कलेव हारकोटा ग्वा0 मे स्थित है जो कि चन्द्र प्रकाश खत्री,गुलशन खत्री/ शादीलाल खत्री के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 9000194805 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 468 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-03012600009393 दिनांक 07.01.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द ढोली बुआ का पुल, क्षे.क्र 17, पर दिनांक 11.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 71/2010/58677/58869 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
श्रीमती उमा यादव/पंकज यादव
पता-कान्ता एन्कलेव हारकोटा ग्वा0(म.प्र.), मो0-7999340499
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 21, वार्ड क्रं 52,स्थान प्रीतमपुर कॉलोनी,गुढा ग्वा0 मे स्थित है जो कि शशिकांत पठारिया,आकाश पठारिया/राजू पठारिया के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 740 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए11877348 दिनांक 24.05.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द आमखो, क्षे.क्र 21, पर दिनांक 09.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 26000165643 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
मोहम्मद मजहर खान/मकसूद खान
पता-प्रीतम कॉलोनी गुढा ग्वा0(म.प्र.), मो0-8815022956
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.03.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्रं 21, वार्ड क्रं 52,स्थान गुढा ग्वा0 मे स्थित है जो कि सिरमती बाई/स्व. तुलसीराम के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफ्ल 900 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602018ए1689378 दिनांक 10.10.2018 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द आमखो, क्षे.क्र 21, पर दिनांक 09.03.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 26000165674 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता
रजनी कुशवाह/सुन्दर कुशवाह, सुन्दर कुशवाह/कासीराम कुशवाह
पता- गुढा ग्वा0(म.प्र.),मो0-9893103615
विज्ञप्ति जारी दिनांक-11.03.2026